उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

............उपाध्यक्ष (न्यायिक)

<u>याचिका संख्या 45/एन0बी0/एस0बी0/2019</u>

सुधीर सिंह गोरखा (एक्स–रे तकनीशियन) पुरूष आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र श्री एच0जे0बी0 सिंह निवासी नारटन होटल मॉल रोड, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, हालिया कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन, ऋषिकुल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हरिद्वार।

..................याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और हौम्योपैथी (आयुष) और आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथी (आयुष) और आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, हर्रावाला देहरादून द्वारा कुलपति।
4. ऋषिकुल उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार परिसर द्वारा निदेशक।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थितिः मो0 मतलूब एवं श्री ए0एन0 शर्मा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः सितम्बर 12, 2022</u>

प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 30.08.2018 जो अपर सचिव आयुष एंव आयुष शिक्षा विभाग देहरादून द्वारा आदेश पारित किया गया को निरस्त किये जाने एवं दिनांक 01.01.2006 को 9300–34800 पे बेण्ड–2, ग्रेड पे 4200 के वेतनमान द्वारा 2014 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड 4600 का लाभ याचीकर्ता को प्रदान करने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित करने हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचीकर्ता का कथन है कि विज्ञापन दिनांक 06.8.1998 के अनुसार याचीकर्ता ने एक्स रे तकनीशियन के पद के लिए आवेदन किया और सफल होने पर आदेश क्रमांक 9359/ अधि0 दिनांक 03.06.99 द्वारा याचीकर्ता को मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश में एक्स–रे तकनीशियन के पद पर नियुक्त किया गया। विज्ञापन दिनांक 06.08.1998 की फोटो कापी और सही टाइप कापी एवं नियुक्ति पत्र दिनांक 03.06.99 की फोटो कापी और सही टाइप कापी इसके साथ दायर की जा रही है और इस याचिका के संलग्नक 05 एवं 6 के रूप में चिहिन्त की जा रही है। नियुक्ति पत्र दिनांक 03.06.99 के अनुसरण में याची को मुज्जफरनगर उ0प्र0 में प्रभावी कार्य दिवस 20.6.99 से वेतनमान 4500–125–7000 पर पदस्थापित किया गया था। उसके बाद याचीकर्ता को पीलीभीत यू0पी0 और इसी तरह काम करना जारी रखा। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद याचीकर्ता ने उत्तराखण्ड राज्य की सेवा करने का विकल्प चुना और इस विकल्प के अनुसरण में उन्होने वर्ष 2005 में हरिद्वार में कार्यभार ग्रहण किया और ऋषिकुल राजकीय स्नात्कोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हास्पिटल में एक्स–रे तकनीशियन के रूप में कार्यरत रहे है। याचीकर्ता की प्रारिम्भक नियुक्ति के समय उसे रू0 4500–7000 के वेतनमान मिल रहा था जो 5000–8000 रूपये के वेतनमान में संशोधित किया गया था जिसे आगे 5200–20200 पे बैंड–1 ग्रेड पे 2800 रू0 में संशोधित किया गया और याचिकार्ता को 5200–20200 पे बैंड–1, ग्रेड पे 2800 के रूप में प्रभावी तिथि 01.01.2006 से मिल रहा है। इसके बाद पत्र नं0 1055/XXVII दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 महानिदेशक, स्वास्थ्य कल्याण और परिवार नियोजन उत्तराखण्ड को संबोधित जिसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को परिचालित की गयी है जो कि चिकित्सा विभाग के एक्स–रे तकनीशियन के वेतनमान के संशोधन में उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सचिव द्वारा जारी की गई। ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुसार शुरू में एक्स–रे तकनीशियन का वेतनमान रू0 4500–7000 को 5200–20,200 पे बैंड–1, ग्रेड पे 2800 के वेतनमान में संशोधित किया गया था, वेतन विसंगति समिति की सिफारिश को देखते हुए एक्स–रे तकनीशियन का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200/– प्रभावी तिथि 01.09.2010 के लिए संशोधित कर स्वीकार्य बनाया गया था। परिपत्र /पत्र दिनांक 27.10.2020 की सत्य प्रतिलिपि इसके साथ दायर की जा रही है और इस याचिका के संलग्नक –07 के रूप में चिन्हित की जा रही है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य में एक्स रे तकनीशियन को वेतन विसंगति समिति/ वेतन युक्तिकरण समिति की सिफारिश के मददेनजर संशोधित वेतनमान मिल रहा है, जिन लोगो को वेतनमान 5200–20200 वेतन बैंड 1, ग्रेड वेतन 2800 मिल रहा था को वेतनमान रू0 9300–34800 पे बैंड –2, ग्रेड पे 4200 का भुगतान प्रभावी तिथि 01.01.2006 से किया

जाएगा जैसा कि परिपत्र दिनांक 21.2.2013 से स्पष्ट है। परिपत्र दिनांक 21.2.2013 की सत्य प्रतिलिपि इसके साथ दायर की जा रही है और इस याचिका के संलग्नक–08 के रूप में चिहिन्त की जा रही है। चूंकि यू0पी0 राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन और उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियनो को 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि दिनांक 01.01.2006 से मिल रहा है लेकिन याचीकर्ता को उतने लाभ नहीं दिये गये है जिसमें कि इस राज्य के साथ यू0पी0 राज्य में अन्य एक्स–रे तकनीशियनों को दिये गये हैं। याचीकर्ता के लगातार अनुरोध के बावजूद जिसे काफी मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है जो भेदभावपूर्ण, यू0पी0 पुनर्गठन अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उतना ही उल्लंघन है क्योंकि कार्य की प्रकृति जो यू0पी0 राज्य में एक्स रे तकनीशियनो द्वारा एंव उत्तराखण्ड राज्य में एक्स रे तकनीशियन द्वारा किया जा रहा है समान है इसलिए केवल याचीकर्ता के संबंध में किया जा रहा भेदभाव काफी गैर कानूनी, मनमाना और अनुचित है।

4. याचीकर्ता की उत्तर प्रदेश, राज्य और केन्द्र सरकार में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियनों के साथ एक्स–रे तकनीशियनों के संशोधित वेतनमान के संबंध में समता की मांग करने वाली वास्तविक मांग को भी एक जगह से दूसरी जगह यानी उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र सरकार के मध्य फैक दिया गया। यहां यह प्रस्तुत करना प्रसांगिक है कि यू0पी0 साथ ही केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य को उनके साथ काम कर रहे एक्स–रे तकनीशियनो के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जैसा कि दिनांक 19.12.2013 के पत्र से स्पष्ट है कि पत्र दिनांक जुलाई 2013, पत्र दिनांक 21.11.2013 एवं पत्र दिनांक 19.12.2013 की प्रति के साथ साथ प्रोफार्मा 1 और 2 सामूहिक रूप से दायर किया जा रहा है। और इस याचिका के संलग्नक –09 के रूप में चिहिन्त की जा रही है। वर्ष 2014 में एक परिपत्र दिनांक 07.10.2014 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना था जिसके तहत वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4600 को वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार्य बनाया गया था और याचीकर्ता को छोड़कर उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत सभी एक्स–रे तकनीशयनो की अनुमति दी जा रही है। लेकिन याचीकाकर्ता के संबंध में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है इस तथ्य के बावजूद कि याचिकर्ता दावे पर विचार करने के लिए गठित समिति ने याचीकर्ता के दावे को वास्तविक पाया कि वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि 1.1.2006 से और 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4600 का वेतनमान 2014 से प्रभावी है लेकिन उत्तराखण्ड राज्य याचीकर्ता को कानूनी रूप से स्वीकार्य समान वेतनमान

देने का शासनादेश जारी करने में पूरी तरह विफल रहा है जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत सभी एक्स रे तकनीशियन को उपरोक्त वेतनमान स्वीकार्य बनाया गया है इसलिये याचीकर्ता के दावे को पूरी तरह से वास्तविक और वैध होने के बावजूद अस्वीकार करना काफी निराधार अवैध मनमाना ,भेदभावपूर्ण है और इसका कोई कानूनी असर नहीं है।

5. चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4200 का वेतनमान मिल रहा है और प्रभावी तिथि 2014 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4600 का वेतनमान प्रभावी है लेकिन याचीकर्ता के लगातार अनुरोध के बावजूद याचीकर्ता को इस राज्य ने अन्य एक्स–रे तकनीशियन के समान लाभ नहीं दिये गए है। प्रतिवादियों ने याचीकर्ता के दावे को दिनांक 30.08.2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया है जो कि काफी अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उतना ही उल्लंघन करता है जितना कि कर्तव्यों की प्रकृति द्वारा निष्पादित पूरे उत्तराखण्ड राज्य में याचीकर्ता और अन्य एक्स रे तकनीशियन समान है। इसलिए याचीकर्ता के संबंध में किया जा रहा है भेदभाव काफी गैरकानूनी मनमाना और अनुचित है लिहाजा याचीकर्ता इस माननीय न्यायालय के कृपा /हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।

6. याचीकर्ता का दावा निराधार आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में परस्पर समानता स्वीकार्य नहीं है जबकि एक्स रे तकनीशियन का संवर्ग और पद एक ही है याची सीधी भर्ती और आदेश दिनांक 30.8.2018 के द्वारा सुझाव देते है कि याचीकर्ता विभिन्न संवर्ग से संबंधित है काफी भ्राम्रक है। यहां यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि एक्स–रे तकनीशियन के पद के लिए कोई फीडिंग कैडर नहीं है और एक अलग कैडर नहीं है। जैसा कि विवादित आदेश में लिखा गया है। यद्यपि याचीकर्ता भी कानूनी रूप से समान वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि 01.01.2006 से और वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4600 प्रभावी तिथि 2014 से समान वेतनमान की अनुमति देने का हकदार है जैसा कि उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य में यू0पी0 पुनर्गठन अधिनियम की प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई। पुनर्गठन अधिनियम जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है। आयुष सहित पूरे उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन के कर्तव्य दायित्व और दक्षता एक समान है इसलिए वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि 01.01.2006 से 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4600 का वेतनमान 2014 से प्रभावी को अस्वीकार किया जाना काफी अवैध मनमाना भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसलिए कानून की नजर में अमान्य है और रद्द

किये जाने योग्य है। यह बताना भी महत्वपूर्ण है एलोपैथिक दवाओं की तुलना में आयुष चिकित्सा का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जो एलोपैथिक दवाओ की तुलना में अधिक प्रभावशाली और कम हानिकारक है बिना किसी दुष्प्रभाव के इसलिए एक्स–रे तकनीशियन का काम का बोझ यानि याचीकर्ता का दिन ब दिन बढ़ रहा है लिहाजा याचीकर्ता के दावे का खण्डन भी शून्य है, कानून की नजरों में अमान्य है और रद्द किये जाने योग्य है। याचीकर्ता कानूनी रूप से 9300–34800 पे बैंड–2 ग्रेड पे 4200 के वेतनमान का एवं वेतनमान रू0 9300 –34800 पे बैंड–2 ग्रेड पे 4600 प्रभावी तिथि से पाने का हकदार है बकाया के साथ जो उत्तराखण्ड राज्य के प्रवर्तनीय है। याचीकर्ता की इस याचिका में उठाये गये दावे से इन्कार कर दिया गया है क्योंकि उसके दावे को अस्वीकार करने वाले भेदभाव को याचीकर्ता की तुलना में उत्तराखण्ड राज्य में सभी एक्स–रे तकनीशियनो को अनुमति दी गई है। इसलिए इस माननीय न्यायाधिकरण की कृपा की मांग है इसलिए यह दावा प्रस्तुत है।

7. अनुतोष के आधार हेतु उपर उल्लिखित परिपत्र के अनुसार शुरू में एक्स–रे तकनीशियन का वेतनमान रू0 4500–7000 के 5200–20200 पे बैंड–1 ग्रेड पे 2800 के वेतनमान में संशोधित किया गया था, वेतन विसंगति समिति की सिफारिश को देखते हुए, एक्स–रे तकनीशियन का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200/– प्रभावी तिथि 01.09. 2020 के लिए संशोधित किया गया स्वीकार्य बनाया गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में एक्स–रे तकनीशियन को वेतन विसंगित समिति / वेतन युक्तिकरण समिति की सिफारिश के मद्देनजर संशोधित वेतनमान मिल रहा है उन लोगो को वेतनमान 5200–20200 वेतन बैंड–1 ग्रेड वेतन 2800 मिल रहा था को वेतनमान रू0 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4200 का भुगतान प्रभावी तिथि 01.01.2006 से किया जायेगा जैसा कि परिपत्र दिनांक 21.2.2013 से स्पष्ट है। क्योंकि यू0पी0 राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन और उत्तरारखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स रे तकनीशियन को 9300–34800 पे बैंड 4200 प्रभावी दिनांक 01.01.2006 से मिल रहा है लेकिन याचीकर्ता को उतने लाभ नहीं दिये गये है जिसमें कि इस राज्य के साथ साथ यू0पी0 राज्य में अन्य एक्स–रे तकनीशियन को दिये गये है। याचीकर्ता के लगातार अनुरोध के बावजूद जिसे काफी मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है जो भेदभाव पूर्ण,यू0पी0 पुनर्गठन अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उतना ही उल्लंघन है क्योकि कार्य की प्रकृति जो यू0पी0 राज्य में एक्स रे तकनीशियनो द्वारा एवं उत्तराखण्ड राज्य में एक्स रे तकनीशियन द्वारा किया जा रहा है समान है इसलिए केवल याचीकर्ता के संबंध में किया जा रहा भेदभाव काफी गैर कानूनी मनमाना और अनुचित है।

8. याचिकर्ता की उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखण्ड राज्य और केन्द्र सरकार में कार्यरत एक्स रे तकनीशियनो के साथ एक्स–रे तकनीशियनों के संशोधित वेतनमान के संबंध में समता की मांग करने वाली वास्तविक मांग को भी एक जगह से दूसरी जगह यानि उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र सरकार के मध्य फैंक दिया गया। यहां यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि यू0पी0 साथ ही केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य को उसके साथ काम कर रहे एक्स–रे तकनीशियनों के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जैसा कि दिनांक 19.12.2013 के पत्र से स्पष्ट है। क्योकि वर्ष 2014 में एक परिपत्र दिनांक 07.10.2014 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना था, जिसके तहत वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4600 को वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार्य बनाया गया था और याचीकार्ता को छोड़कर उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत सभी एक्स रे तकनीशियनों को अनुमति दी जा रही है लेकिन याचीकर्ता के संबंध में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है इस तथ्य के बावजूद कि यचीकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए गठित समिति ने याचीकर्ता के दावे को वास्तविक पाया कि वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि 1.1.2006 से और 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4600 का वेतनमान 2014 से प्रभावी है लेकिन उत्तराखण्ड राज्य याचीकर्ता को कानूनी रूप से स्वीकार्य समान वेतनमान देने का शासनादेश जारी करने में बुरी तरह विफल रहा है जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत सभी एक्स रे तकनीशियन को उपरोक्त वेतनमान स्वीकार्य बनाया गया है इसलिए याचीकर्ता के दावे को पूरी तरह से वास्तविक और वैद्य होने के बावजूद अस्वीकार करना काफी निराधार अवैध मनमाना भेदभावपूर्ण है और इसका कोई कानूनी असर नही है।

9. चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स रे तकनीशियन को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4200 का वेतनमान मिल रहा है और प्रभावी तिथि 2014 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2, ग्रेड पे 4600 का वेतनमान प्रभावी है लेकिन याचीकर्ता के लगातार अनुरोध के बावजूद याचीकर्ता को इस राज्य ने अन्य एक्स रे तकनीशियनो के समान लाभ नही दिए गए है। प्रतिवादीयों ने याचीकर्ता के दावे को दिनांक 30.8.2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है जो काफी अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उतना ही उल्लंघन करता है जितना कि कर्तव्यों की प्रकृति द्वारा निष्पादित पूरे उत्तराखण्ड राज्य में याचीकर्ता और अन्य एक्स रे तकनीशियन समान है। इसलिए याचीकर्ता के संबंध में किया जा रहा है भेदभाव

काफी गैरकानूनी मनमाना और अनुचित है। लिहाजा याचीकर्ता इस माननीय न्यायायलय के कृपा / हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।

10. याचीकर्ता का दावा निराधार आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में परस्पर समानता स्वीकार्य नहीं है जबकि एक्स–रे तकनीशियन का सवंर्ग और पद एक ही है यानी सीधी भर्ती और आदेश दिनांक 30.8.2018 के द्वारा सुझाव देते है। कि याचीकर्ता विभिन्न संवर्ग से संबंधित है काफी भ्रामक है। यहां यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि एक्स–रे तकनीशियन के पद के लिए कोई फीडिंग कैडर नहीं है और एक अलग कैडर नहीं है जैसा कि विवादित आदेश में लिखा गया है। यद्यपि याचीकर्ता भी कानूनी रूप से समान वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 प्रभावी तिथि 01.01.2006 से और वेतनमान 9300–34800 पे बैंड 2 ग्रेड पे 4600 प्रभावी तिथि 2014 से समान वेतनमान की अनुमति देने का हकदार है जैसा कि उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य में यू0पी0 पुर्नगठन अधिनियम की प्राविधानों को ध्यान में रखते हए अनुमति दी गई। पुनर्गठन अधिनियम जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है। क्योंकि आयुष सहित पूरे उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स–रे तकनीशियन के कर्तव्य, दायित्व और दक्षता एक समान है इसलिए वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200– प्रभावी तिथि 01.01.2006 से और 9300–34800 पे बैंड –2 ग्रेड पे 4600 का वेतनमान 2014 से प्रभावी को अस्वीकार किया जाना काफी अवैध मनमाना महत्वपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है इसलिए कानून की नजर में अमान्य है और रद्द किये जाने योग्य है। क्योकि यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि ऐैलोपैथिक दवाओं की तुलना में आयुष चिकित्सा का क्रेज दिन व दिन बढ़ता जा रहा है जो ऐैलोपैथिक दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली और कम हानिकारक है बिना किसी दुष्प्रभाव के इसलिए एक्स–रे तकनीशियन का काम का बोझ यानि याचीकर्ता का दिन ब दिन बढ रहा है लिहाजा याचीकर्ता के दावे का खण्डन भी शून्य है, कानूनी की नजरों में अमान्य है और रद्द किये जाने योग्य है। क्योंकि याचीकर्ता कानूनी रूप से 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 के वेतनमान का एवं वेतनमान रू0 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4600 प्रभावी तिथि से पाने का हकदार है बकाया के साथ जो उत्तराखण्ड राज्य में प्रवर्तनीय है। क्योकि याचीकर्ता को इस रिट याचिका में उठाये गए दावे से इन्कार कर दिया गया क्योंकि उसके दावे को अस्वीकार करने वाले भेदभाव को याचीकर्ता की तुलना में उत्तराखण्ड राज्य में सभी एक्स–रे तकनीशियनों को अनुमति दी गई है। प्रार्थी /याचीकर्ता घोषणा करता है कि उसने प्रतिवादीगणो के समक्ष प्रत्यावेदन के जरिये उपचार का उपभोग कर लिया है जिसको परिणामतः आदेश दिनांक 30.8.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया है और असफल होने पर

चूंकि याचीकार्ता के पास अन्य कोई विलक्प नहीं है इसलिये दावा याचिका को माननीय न्यायाधीकरण के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

11. जबकि विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया उप–सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजरिये प्रतिशपथ पत्र संक्षेप में कथन किया गया है कि शपथकर्ता वर्तमान में उप–सचिव उत्तराखण्ड शासन के पद पर सेवारत /कार्यरत है एंव शपथकर्ता को प्रतिवादी सं0 01 द्वारा उनकी ओर से प्रश्नगत याचिका में प्रतिशपथ पत्र योजित करने हेतु अधिकृत किया है। अतः शपथकर्ता उपरोक्त याचिका में प्रतिशपथ–पत्र लिखित विवेचन–पत्र दाखिल कर रहा है एवं निम्नलिखित तथ्यों पर दे रहा है। याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार है एवं केवल वहीं प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं।

याचिका के प्रस्तरवार उत्तर देने से पूर्व शपथकर्ता कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है जो कि याचिका के निस्तारण के लिए अति आवश्यक तथ्य है। जो इस प्रकार है– याची की नियुक्ति आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 9359 दिनांक 03.06.1999 के क्रम में एक्स–रे टैक्नीशियन के पद पर वेतनमान रू0 4500–120–7000 पर हुयी थीं। याची वर्तमान में उत्तराखण्ड आर्युवेद विश्वविधालय के ऋषिकुल परिसर हरिद्वार में एक्सरे टैक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। याची एक्स–रे टैक्नीशियन द्वारा चिकित्सा अनुभाग–03 उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड एक्सरे प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 एवं चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 की व्यवस्थानुसार उक्त तिथि से वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध को प्राप्त करने के लिए याची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका सं0 436(एस एस)/2017 योजित की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2017 के द्वारा याची के प्रत्यावेदन पर विचार करने हेतु प्रतिवादी उत्तरदाता को निर्देशित किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2017 की प्रति प्राप्त होते ही उत्तरदाता /प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आदेश के अनुपालन में याची के प्रकरण के निस्तारण हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 24.10.2017 को आख्या /रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी जो निम्नवत है –''समिति प्रथम दृष्टया इस निर्णय पर पहुंची है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड तथा आयुष शिक्षा दोनो विभाग पृथक–पृथक विभाग है, दोनों विभागों हेतु

शासनादेश भी पृथक–पृथक निर्गत होते हैं, तदनुसार कार्मिकों को लाभ प्राप्त होते हैं। समिति का स्पष्ट मत है कि वेतनमान संशोधन संबंधी लाभ दिलाये जाने हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत कराया जाना समीचीन होगा'' विश्वविद्यालय द्वारा समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या 2162 /उ0आ0वि0/2107–18 दिनांक 25.10.2017 के क्रम में याची को उक्त सुविधा का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु एक्सरे टैक्नीशियन के पद का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने तथा शासन स्तर से पृथक से शासनादेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी ।

12. याची द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या 1353 (एस एस)2018 ''सुधीर सिंह गोरखा बनाम उत्तराखण्ड राज्य'' योजित करते हुये माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि याची के संबंध में रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड आर्युवेद विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 25.10.2017 पर उत्तरदाता/ प्रतिवादी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.06.2018 के द्वारा उत्तरदाता/प्रतिवादी को याची के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा याची के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संस्तुति का अवलोकन किया गया एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशों एवं नियमों के आधार पर याची के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संस्तुति को विधि सम्मत नहीं पाया एवं याची के प्रकरण को आलोच्य आदेश सं0 1440/xxx/2018-02/2012 दिनांक 30.08.2018 से निस्तारित कर दिया। जिसके विरूद्ध याची द्वारा प्रश्नगत याचिका योजित की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद विश्वविद्यायल में एक्स–रे टैक्निीशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता कक्षा दस उत्तीर्ण तथा दो वर्षीय एक्स–रे टैक्नीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है जबकि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग में एक्स–रे टैक्निशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट तथा दो वर्षीय एक्स–रे टैक्नीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है। अतः उपरोक्तानुसार श्री सुधीर सिंह गोरखा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में शासन के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया (क्लेम पिटीशन में संलग्नक सं0 01) प्रतिवादी के स्तर से भारत के संविधान की किसी भी धारा, अधिनियम, निमय का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा याची के साथ कोई भी भेदभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः याची की याचिका बलहीन होने के कारण खण्डित होने योग्य है।

13. प्रश्नगत वाद में श्री सुधीर सिंह गोरख, एक्स–रे टैक्नीश्यिन द्वारा चिकित्सा अनुभाग 03 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 की व्यवस्थानुसार उक्त तिथि से वेतनमान रू0 9300–3800 ग्रेड वेतन 4600 दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकरण में याची द्वारा योजित रिट याचिका सं0 436/एस0एस0 /2017 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2017 को पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत वाद के निस्तारण हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी। विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 2162 /उ0आ0वि0/ विधि/2017–18 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए श्री सुधीर सिंह गोरखा को उक्त सुविधा का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु एक्स–रे टैक्नीशियन के पद का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने तथा शासन स्तर से पृथक से शासनादेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की संस्तुति विषयक पत्र सं0 2159 दिनांक 25.10.2017 के क्रम में शासन स्तर पर प्रकारण का परीक्षण किया गया। चूंकि, समता समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत दो भिन्न संवर्गो के मध्य समतुल्यता (inter-se-parity) का सिद्धान्त मान्य नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार समता समिति की संस्तुति एवं वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आलोक में प्रकरण पर विचार किये जाने का अवसर न होने के कारण शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या –1448/xxxx/2018-02/2012 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा प्रकरण निस्तारित किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक्स–रे टैक्निशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता कक्षा दस उत्तीर्ण तथा दो वर्षीय एक्स–रे टैक्नीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है जबकि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग में एक्स–रे टैक्निशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट तथा दो वर्षीय एक्स–रे टैक्नीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है। अतः उपरोक्तानुसार श्री सुधीर सिंह गोरखा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में शासन के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया (क्लेम पिटीशन में संलग्नक सं0 01) प्रतिवादी के स्तर से भारत के संविधान की किसी भी धारा, अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया । तथा याची के साथ कोई भी भेदभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी है। याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जावे।

14. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विपक्षीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

15. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता विज्ञापन दिनांक 06.08.1998 के अनुसार एक्स–रे तकनीशियन के पद के लिए आवेदन करने के उपरान्त सफल होने पर आदेश क्रमांक 9359/अधि0 दिनांक 03.06.1999 को मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश में एक्स–रे तकनीशियन के पद पर नियुक्त हुआ था जैसा कि पत्रावली पर संलग्नक 5 व 6 के अवलोकन से स्पष्ट है। नियुक्ति पत्र दिनांक 03.06.1999 के अनुसार याचीकर्ता का वेतनमान 4500–7000 पर नियुक्त हुआ था और उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद याचीकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवा करने का विकल्प चुना गया और वर्ष 2005 में ऋषिकुल राजकीय स्नान्तकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज एवं हास्पिटल हरिद्वार में एक्स–रे तकनीशियन के रूप में कार्यरत रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचीकर्ता की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय के उपरोक्त वेतनमान को संशोधित किया गया और दिनांक 01.01.2006 से याचीकर्ता को 5200–20200 पे बैंड –1, ग्रेड पे 2800 के रूप में मिल रहा है।

16. अब जहां तक याचीकर्ता द्वारा विपक्षीगण की ओर से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक्स– रे तकनीशियनों को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 अनुमन्य किये जाने एवं दिनांक 07.10.2014 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी परिपत्र से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4600 अनुमन्य किये जाने के बावजूद याचीकर्ता को उपरोक्त वेतनमान व ग्रेड पे से वंचित रखने से वेतन विसंगति हेतु याचीकर्ता द्वारा अपना दावा विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रश्न है और जिसे विपक्षीगण के ओर से अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 30.8.2018 को प्रकरण पर विचार किये जाने का अवसर नहीं, कहते हुए निस्तारित किया गया, पूरी तरह याचीकर्ता के प्रत्यावेदन/दावे के कथनों को मनमाने व विधि विरूद्ध हैं, जबकि दिनांक 01.01.2006 से पूर्व याचीकर्ता को भी उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के अन्य एक्स–रे तकनीशियनों के समान वेतनमान 5200–20200 पे बैंड 1, ग्रेड पे 2800 मिल रहा था और जिसे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1007/71 आयुष–1–2012–231/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार आयुर्वेद /युनानी विभाग के एक्स–रे तकनीशियनों के पद के वेतनमान में उच्चीकरण के सादृश्य वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 2800 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैंड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200 दिनांक 01.01.2006 से पनुरीक्षित आधार पर अनुमन्य किया गया था जैसा कि संलग्नक–8 से स्पष्ट है। उक्त वेतनमान अनुमन्य के पश्चात् याचीकर्ता द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया के निस्तारण हेतु

3 सदस्यीय समिति कुलसचिव द्वारा गठित की गई और जिसमें समिति द्वारा शासन स्तर से आयुष संबंधी याचीकर्ता को उक्त वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति की गयी और रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय द्वारा समिति के उपरोक्त संस्तुतियों को उत्तराखण्ड सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया और जिसके संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा WPSS No.1353/2018 में सचिव आयुर्वेदा एण्ड युनानी एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड सरकार को शीघ्र सकारात्तक निर्णय लेने हेतु 4 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन विपक्षी सं0 2 द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऐसा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और याचीकर्ता के दावे एवं 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति को यह उल्लिखित करते हुए दिनांक 30.08.2018 को निस्तारित किया गया कि समता समिति की संस्तुति एवं वेतन विसंगति समित की संस्तुति के आलोक में प्रकरण पर विचार किये जाने का अवसर नहीं है। जबकि इससे पूर्व सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1055/XXVII-3-2010-84/2010 दिनांकित 27.10.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक्स–रे टैक्नीशियन के पदो के प्रभावी वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 से रू0 5000–8000 का उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य किये जाने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन उक्त आदेश के बावजूद याचीकर्ता को उक्त वेतनमान से वंचित किया गया, जो पूरी तरह विधि विरूद्ध है।

17. विपक्षीगण की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में यह उल्लेख करना कि **मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा याची के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई संस्तुतियों का अवलोकन किया एंव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशों एवं नियमों के आधार पर याची के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संस्तुति को विधि संमत नही पाया एवं याची के प्रकरण को आलोच्य आदेश सं0 1440/XXXX/2018–02/ 2012 दिनांक 30.8.2018 से निस्तारित कर दिया जिसके विरूद्ध याची द्वारा प्रश्नगत याचिका योजित की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय एक्स–रे तकनीशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता कक्षा 10 उर्त्तीण तथा दो वर्षीय एक्स–रे तकनीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है जबकि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग में एक्स–रे तकनीशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट तथा दो वर्षीय एक्स–रे तकनीशियन का डिप्लोमा निर्धारित है तदनुसार याची श्री सुधीर सिंह गोरखा के प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।**

18. विपक्षीगण के उपरोक्त प्रतिशपथ पत्र के कथनों से यह स्पष्ट है कि यदि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग में एक्स–रे तकनीशियन पद हेतु शैक्षिक अर्हता पूर्व में हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट की गयी तो ऐसी शैक्षिक अर्हता प्रभावी करने की तिथि अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले एक्स–रे तकनीशियन पर ही लागू हो सकती है, न कि पूर्व में नियुक्त एकस–रे तकनीशियन पर। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दौरान बहस यह भी प्रकाश में आया है कि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं आयुष /युनानी चिकित्सकों के वेतनमान में कोई वेतन विसंगति नहीं है, केवल उच्चतर चिकित्सीय शिक्षा (योग्यता) प्राप्त चिकित्सकों को नियमानुसार प्रचलित वेतन वृद्धियां दिये जाने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में याचीकर्ता का यह कथन कि विपक्षीगण द्वारा याचीकर्ता के प्रत्यावेदन को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के अन्य एक्स–रे तकनीशियनों को दिये गये वेतनमान व ग्रेड पे के संबंध में पुनर्गठन अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तथा याचीकर्ता को राज्य के अन्य एक्स–रे तकनीशियन को दिया जा रहा वेतनमान व ग्रेड पे के विपरीत याचीकर्ता के प्रकरण पर पारित आदेश दिनांक 30.8.2018 गैर कानूनी, भेदभावपर्णू एवं मनमाना है, को बल मिलता है, क्योंकि आदेश दिनांक 30.08. 2018 में अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा द्वारा याचीकर्ता का प्रत्यावेदन मात्र इस आधार पर निरस्त करना कि समता समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत 2 भिन्न संवर्गो के मध्य समतुल्यता (Inter- se- parity) का सिद्धांत मान्य नहीं है पूरी तरह विधि विरूद्ध है जबकि याचीकर्ता की नियुक्ति दिनांक 03.06.99 के आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के समय हुई थीं और जहां से अन्य एक्स–रे तकनीशियन के समान कार्य व समान प्रकृति के आधार पर समान वेतनमान प्राप्त कर रहा था। तदनुसार अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.8.2018 अपास्त किया जाता है। विपक्षीगण /उत्तरदातागण को आदेशित किया जाता है कि याचीकर्ता को दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड –2, ग्रेड पे 4200 और 2014 से वेतनमान 9300–34800 पे बैंड–2, ग्रेड पे 4600 में निर्धारित करते हुए बकाया वेतन लाभ उत्तराखण्ड राज्य के अन्य एक्स–रे तकनीशियनों के समान अन्दर 2 माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगें।

दिनांकः सितम्बर 12, 2022
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष(न्यायिक)